न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः– वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
46/2025	16.06.2025	27.03.2026

1. मलखान पुत्र सियाराम बैरवा निवासी वीरपुर तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।
2. जगदीश पुत्र सुआ जाति महावर निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खण्डार ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

श्री अंजनी कुमार तेहरिया वकील प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

- यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 661/13 रकबा 13 बीघा 04 प्रार्थीगण की हिस्सा 11 बीघा 4 बिस्वा एवं प्रार्थी सं. 02 का हि0 2.00 बीघा कुल रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम मेइखुर्द तहसील खण्डार मे स्थित है।

- यह कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 661 / 13 कुल रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा वांके ग्राम मेइखुर्द मे स्थित भूमि पर प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा उक्त आराजी मे प्रार्थीगण ने इस वर्ष सरसों की फसल काश्त की है। प्रार्थीगण की उक्त कब्जे काश्त की आराजी खण्डार स०मा० रोड के पूर्व दिशा की ओर कमोखरी रोड के पास स्थित है।

- प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 661/13 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा वांके ग्राम मेइखुर्द की राजस्व कर्मीरियों द्वारा नक्शाशीट में तरमीम की गई है। उक्त तरमीम नक्शाशीट मे राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई है। यह तरमीम सहवन से गलत कर दी गई है। उस जगह पर ख.नं. 661/2 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा भूमि वांके ग्राम मेइखुर्द की राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर तरमीम की गई है। वहां प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। जिस जगह पर प्रार्थीगण का कब्जा है [illegible] उक्त ख. न. 661/13 की तरमीम नहीं की गई है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त ख. नं. 661 / 13 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा की नक्शाशीट मे गलत तरमीम कर दी गई है। जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। जिसे जगह तरमीम की गई है। उक्त जगह

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.04.09 18:51:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

पर खातेदारान का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। इसलिए रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा बिना मौके के भी वास्तविक स्थिति को नजर अन्दाज करते हुये उक्त ख.नं. 661 / 13 रकबा 13.04 बीघा भूमि वांके ग्राम मेइखुर्द की तरमीम कर दी गई है। जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना कब्जे के गलत तरमीम का अंकन किया गया है। इसलिए निरस्त योग्य है।

- प्रार्थीगण दिनांक 9/1/2025 को पटवारी हल्का मेइखुर्द से मिले तो प्रार्थीगण को तरमीम के बारे मे बताया इस पर प्रार्थीगण ने उक्त तरमीम की नकल ली तो उन्होने कहा कि आप 136 भू राजस्व अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करो तभी अंकन दुरूस्त होगा।
- प्रार्थना पत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है।
- यह कि प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है ।
- अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि अप्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावें कि पटवारी हल्का मेइखुर्द को निर्देशित करे कि ख.नं. 661/13 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा वांके ग्राम मेइखुर्द की नक्शाशीट मे गलत तरमीम की गई है उसको निरस्त फरमाया जाकर उक्त ख.नं. की मौके पर काबिज काश्त के अनुसार पुनः नये सिरे से नक़्शाशीट मे तरमीम कराने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आराजी खसरा नम्बर 661/13 रकबा 13–04 बीघा ग्राम मेई खुर्द में मुताबिक जमाबन्दी के खाता संख्या 210 वर्तमान में जगदीश पुत्र सुआ हिस्सा 40/264 जाति कोली सा0 कस्बा खण्डार मलखान पुत्र सियाराम हिस्सा 28/33 जाति बैरवा सा0 वीरपुर के नाम रिकार्ड दर्ज है। मुताबिक लटठा शीट में मौकानुसार प्रार्थी का कब्जा मूल खसरा नम्बर 13 में है। किन्तु मूल खसरा नम्बर में कई उपखसरे है। वर्तमान नक्शा लट्ठा शीट में आराजी खसरा नम्बर 661/13 रकबा 13–04 बीघा की तरमीम कर रखी है। जो प्रार्थी के मौके पर कब्जानुसार नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के जहां पर लटठाशीट में तरमीम हो रही है। उस पर अन्य खातेदार का कब्जा काश्त है। प्रार्थी का कब्जा सवाईमाधोपुर से कमोखरी लिंक रोड पर [illegible] है। ग्राम मेई खुर्द के आराजी खसरा नम्बर 661/13 रकबा 13–04 बीघा [illegible] नक्[illegible]शीट में की गई तरमीम प्रार्थी के कब्जा काश्त भूमि पर नहीं [illegible] खण्डार से पुनः बिन्दुवार रिपोर्ट चाही गई है जिसमें अंकित किया गया है कि उक्त प्रकरण में अशुद्धी डीआईएलआरएमपी योजना के तहत की गई है। राजस्व नक्शाशीट में उक्त तरमीम के सम्बन्ध में कोई दिनांक हस्ताक्षर व आदेश का अंकन नहीं है। वर्तमान में जहां काबिज है वह नक्शाशीट अनुसार मूल खसरा नम्बर 13 है। प्रार्थी सवाईमाधोपुर से खण्डार सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.04.09 18:51:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

से पूर्व दिशा में कमोखरी लिंक रोड पर दक्षिण दिशा में काबिज है। जो संलग्न नजरी नक्शा में अंकित है।

3. वकील प्रार्थी द्वारा बहस करते हुए अपने प्रार्थना पत्र मं अंकित कथनों का दोहरान किया गया की प्रार्थी प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 661/13 कुल रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा वांके ग्राम मेइखुर्द मे स्थित भूमि पर प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजी मे प्रार्थीगण ने इस वर्ष सरसों की फसल काश्त की है। प्रार्थीगण की उक्त कब्जे काश्त की आराजी खण्डार स०मा० रोड के पूर्व दिशा की ओर कमोखरी रोड के पास स्थित है।प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 661/13 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा वांके ग्राम मेइखुर्द की राजस्व कर्मियों द्वारा नक्शाशीट में तरमीम की गई है। जो तरमीम सहवन से गलत कर दी गई है। उस जगह पर ख.नं. 661/13 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा भूमि वांके ग्राम मेइखुर्द की राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर तरमीम की गई। वहां प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। जिस जगह पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। वहां उक्त ख.न. 661/13 की तरमीम नहीं की गई है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त ख.नं. 661/13 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा की नक्शाशीट मे गलत तरमीम कर दी गई है। जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 661/13 रकबा 13–04 बीघा वांके ग्रम मेई खुर्द की मौकानुसार प्रार्थीगण का कब्जा अनुसार तरमी नहीं होना अंकित किया गया है। जहां पर लट्ठा शीट में तरमीम हो रही है उस पर अन्य खातेदार का कब्जा काश्त है। प्रार्थी का वर्तमान में सवाईमाधोपुर से खण्डार सड़क से पूर्व दिशा में कमोखरी लिंक रोड़ पर दक्षिण दिशा में काबिज है। तरमीम को कोई आदेश भी अंकित नहीं पाया गया। प्रार्थीगण की तरमीम पुनः किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

5. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम मेई खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 661/13 के खातेदारान की गलत तरमीम को निरस्त किया जाता है एवं ग्राम मेई खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 661/13 की नये सिरे से मौके एवं रिकार्ड के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार खण्डार को आदेश की एक प्रति भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित खसरा नम्बरों की तरमीम मौके व रिकार्ड एवं रिकार्ड के अनुसार किया जाकर नई तरमीम का अंकन राजस्व रिकार्ड मे किया जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तक्मील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.04.09 18:51:34 IST
Reason: SelfAttested

6. यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)